न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर

पीठासीन अधिकारी–जगदीश आर्य

अपील संख्या 19 / 2024 तारीख रजू 14.03.2024

1. केदार पुत्र फूल चन्द निवासी ग्राम कराड़ी तहसील बौंली जिला सवाई माधोपुर
2. धूल्या पुत्र मोहरपाल निवासी ग्राम कराड़ी तहसील बौंली जिला सवाई माधोपुर – अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार, बौंली –– रेस्पोडेन्ट

उपस्थित – श्री कुलदीप शर्मा एड0 – अपीलार्थी
पेरोकार राजस्व – रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक 15.05.2024

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार, बौंली द्वारा मुकदमा नं0 658 / 2024 मे पारित आदेश दिनांक 14.02.2024 के विरूद्व प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम कराड़ी के आराजी खसरा नम्बर 465 रकबा 0.8 है0 किस्म गै0मु0नाला वाके ग्राम कराड़ी पर संवत 2080 में फसल रबी में अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करने का कर्ता मानकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित करने के साथ साथ पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए 30 दिवस के सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया हैं।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पो0 की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यो की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस मे कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि के विरूद्व एवं पत्रावली के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि अधिनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का सही प्रकार से विवेचन नहीं किया गया है तथा गलत प्रकार से अपना निर्णय पारित किया गया है जो निरस्त होने योग्य है। यह कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों की किसी भी प्रकार से कोई पालना नहीं की तथा अपीलार्थीगण को सुनवाई का कोई अवसर नही दिया गया तथा एकतरफा सुनवाई करते हुए आक्षेपित आदेश पारित कर दिया, जो कि अपास्त किये जाने योग्य है। यह कि माननीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को ख0नं0 465 रकबा 0.08 है0 का अतिक्रमी माना गया है, जबकि अपीलार्थीगण द्वारा उक्त ख0नं0 465 पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया, बल्कि अपीलार्थीगण ख0नं0 465 से लगते हुए ख0नं0 452 रकबा 0.8500 के खातेदार काश्तकार है, लेकिन पटवारी हल्का द्वारा उक्त महत्वपूर्ण तथ्य को छिपा कर गलत रिपोर्ट बनाकर माननीय अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की गई तथा माननीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र उक्त गलत रिपोर्ट को ही आधार मानकर अपीलार्थीगण को अतिक्रमी मान कर भारी कानूनी भूल की है। यह कि माननीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज किया गया है, जबकि पटवारी रिपोर्ट में ना तो पटवार हल्का का नाम अंकित है, ना ही हल्का नम्बर अंकित है, यहां तक कि पटवारी रिपोर्ट में अतिक्रमण से सम्बंधित भूमि किस गांव में स्थित है, यह भी अंकित नहीं है, लेकिन इसके बावजूद माननीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश पारित कर भारी कानूनी भूल की है। यह कि माननीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 06.02.24 को

अति॰ जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

प्रकरण दर्ज कर आगामी तारीख पेशी दिनांक 14.02.24 वास्ते तलबी अपीलार्थीगण नियत की गयी तथा उक्त दिनांक को अपीलार्थीगण माननीय अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर उनके द्वारा अपना पक्ष रखे जाने हेतु एवं अधिवक्ता नियुक्त हेतु समय दिये जाने की प्रार्थना की गयी तथा माननीय अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष निर्देशानुसार अपनी उपस्थिति हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी की गयी, लेकिन माननीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये बिना मनमाने ढंग से प्रथम पेशी पर दिनांक 14.02.24 को ही प्रिन्टेड फारमेट में पटवारी के बयान दर्ज कर लिये तथा उक्त दिनांक को ही अपीलार्थीगण को अतिक्रमी घोषित कर आक्षेपित आदेश पारित कर दिया, जो कि दूषित होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। यह कि माननीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही एक ही दिन, दिनांक 14.02.2024 को की गयी तथा अपीलार्थीगण को ना तो कथित गवाह पटवारी हल्का से जिरह का कोई अवसर दिया गया, ना ही जवाब एवं बचाव साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का अवसर दिया गया, बल्कि मनमाने ढंग से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित जाकर आक्षेपित आदेश पारित कर भारी कानूनी भूल की है। अन्त मे वकील अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार कर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.02.2024 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

पेरोकार सरकार ने वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए बहस मे कथन किया कि अपीलार्थी को विधिवत नोटिस जारी करने के पश्चात ही अपीलार्थी को सुनवाई सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिये जाने व पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित हो जाने के पश्चात ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसमे किसी प्रकार की अनियमितता नही है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाकर अदालत मातहत का निर्णय यथावत रखा जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरूद्व अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अपीलार्थी को धारा 91(3) के तहत नोटिस जारी किया गया है जिस पर अपीलार्थी को तामील होने पर अदालत मातहत के समक्ष दिनांक 14.02.2024 को उपस्थित हुए। जहां तक अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतिचारी होने का प्रश्न है तो अदालत मातहत की पत्रावली में पश्चातवर्ती अतिक्रमण के संबंध में पारित निर्णय, इसके संबंध में कोई दस्तावेज, रिपोर्ट, नोटिस आदि संलग्न नहीं है। अपीलान्ट द्वारा बहस में अपीलान्ट का अतिक्रमित भूमि पर अतिक्रमण नहीं होना अवगत कराया है एवं अतिक्रमण नहीं होने तथा भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने के संबंध में शपथ पत्र भी पेश किया है। अदालत मातहत द्वारा निर्णय दिनांक 14.02.2024 में अपीलान्ट के 465 रकबा 0.8 है0 किस्म गै0मु0नाला में फसल रबी में अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण करना तथा पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना पाया जाता है किन्तु पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार अपीलार्थी का उक्त आराजी 465 रकबा 0.8 है0 किस्म गै0मु0नाला पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने के पुख्ता सबूत उपलब्ध नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है जिसमे बेदखली, शास्ति व फसल नीलामी का आदेश यथावत रखा जाता है तथा अपीलान्ट को दिये गये 30 दिवस के सिविल कारावास के दण्ड को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 15/5/24 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(जगदीश आर्य)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर